संख्या-115/2018/2336जेएल/22-3-18-800(106)/2014

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2018***

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली के सिद्धदोष बंदी नसीमुलशान खां पुत्र श्री गुलाम गौश खां, निवासी-ग्राम-परेवा वैश्य, थाना-जहानाबाद, जनपद-पीलीभीत को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-660/न्याय सहा0-18, दिनांक 19-11-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार, बरेली के सिद्धदोष बंदी नसीमुलशान खां पुत्र श्री गुलाम गौश खां, निवासी-ग्राम-परेवा वैश्य, थाना-जहानाबाद, जनपद-पीलीभीत को शासनादेश संख्या-105/2018/1949जेएल/22-3-18-800(106)/2014, दिनांक 12-10-2018 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-115/2018/2336जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in